

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./CTAD/275(1)बजट घोषणा/ईएमआरएस क्षमता वृद्धि/2020-21/ दि. 11820-32

16/06/2021

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर ।

विषय : एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) खेरवाडा में 22 डोरमेट्री एवं 2 कक्षा-कक्ष के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) कागदर खेरवाडा में 22 डोरमेट्री एवं 2 कक्षा-कक्ष के निर्माण हेतु स्वच्छ परियोजना, उदयपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि रू. 385.36 लाख का प्राप्त हुआ। एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) खेरवाडा जिला उदयपुर में प्रस्तावित निर्माण एवं सुविधाओं का विकास का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	तल	विवरण	Built-up Area (sq.m.)
1	भू-तल	विद्यालय में क्लास रूम-2	195.09
2	भू-तल	छात्रावास में डोरमेट्री मय टॉयलेट-6, डायनिंग हॉल-1,	523.29
3	प्रथम -तल	छात्रावास में डोरमेट्री मय टॉयलेट-6, डायनिंग हॉल-1, डोरमेट्री मय टॉयलेट-4	817.70
4	द्वितीय-तल	छात्रावास में डोरमेट्री मय टॉयलेट-6, डायनिंग हॉल-1	523.29
योग			2059.37

स्वच्छ परियोजना, उदयपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि रू. 385.36 लाख की प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-3 में वर्णित कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति अनुसार कॉलम संख्या-5 में वर्णित राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है।

(राशि लाखों में)

क्र.स.	जिला	स्थान	तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5
1	उदयपुर	एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) खेरवाडा में 22 डोरमेट्री एवं 2 कक्षा-कक्ष के निर्माण	F I (2) P.O./Swach/2020-21/68/11.06.2020	383.36

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 118/वर्ष 2019-20 में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि रू. 1500.00 लाख में से उपरोक्त कार्य की स्वीकृत लागत राशि रूपये 383.36 लाख की 80 प्रतिशत राशि 306.69 लाख निदेशक स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्तें-

- यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।

कृ.पू.उ.

2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही ड्राईंग, तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यदेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से बनाया जावे।
4. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
5. स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति एवं पूर्ण होने के पश्चात् के फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
7. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
8. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

-sd-

(शिवांगी स्वर्णकार) I.A.S

आयुक्त

क्रमांक यथोपरि/ 11820 - 32
प्रतिलिपि-

दिनांक : 16/06/2020

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर उदयपुर।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, बड़ी रोड उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 118/वर्ष 2019-20 में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि रु. 1500.00 लाख में से उपरोक्त कार्य की स्वीकृत लागत राशि रूपये 383.36 लाख की 80 प्रतिशत राशि 306.69 लाख निदेशक स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तांतरित करावे।
6. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर।
7. निदेशक मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. प्रधानाचार्य/अधीक्षक, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस), कागदर खेरवाडा जिला उदयपुर।
9. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त